



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-12.03.2025

थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अल्पअवधि में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला खेल में महिला से मोबाइल छीनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल व अवैध तमंचा व कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.03.2025 को श्रीमती सविता सैनी पत्नी शिव कुमार सैनी निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला ने एक अज्ञात युवक द्वारा मोबाइल फोन छीनने की सूचना दी गयी थी। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत टीमों का गठन करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला खेल में महिला से मोबाइल फोन छीनने की घटना का अल्पअवधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त को खन्द्रावली नहर पटरी से पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी कांधला भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल थाना चांदनीबाग जनपद पानीपत हरियाणा से सम्बन्धित है आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद पानीपत को सूचित किया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आमिर पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला खेल कस्बा कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0152/2022 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 266/2019 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 346/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 475/2024 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 109/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.लूटा हुआ मोबाइल सैमसंग कम्पनी।

2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस हुआ

3.पानीपत से चोरी मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 श्री क्षितिज कुमार सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

- 2.व0उ0नि0 श्री सुभाष सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 3.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 5.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 6.उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 7.है0का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 8.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 9.का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 10.का0 मोनू नागर थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ट्रांसफार्मर उपकरण चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए ट्रांसफार्मर के उपकरण, ट्रांसफार्मर ऑयल, अवैध तमंचा व कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद:-

ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा व थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फतेहपुर टाउन में व दिनांक 11.03.2025 को ग्राम बाबरी व ग्राम गोगवान जलालपुर के जंगल में ट्यूबवैल से अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर के विभिन्न उपकरण, ऑयल आदि चोरी करने की घटना के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सूचना दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गये थे। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रांसफार्मर उपकरण चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर आयल, अवैध 01 तमंचे मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू बरामद हुये हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। घटना में लिप्त अभियुक्तों के 02 साथी मौके से फरार हो गये हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है शीघ्र ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्य:- गिरफ्तार अभियुक्तगण रिहान व दानिश ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अपने फरार साथी कलाम पुत्र सनाउल्ला निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थानाभवन व महताब पुत्र शौकत निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थानाभवन के साथ मिलकर योजना बनाकर ट्रांसफार्मर खोलकर उससे कीमती कॉइल व तेल निकाल लेते हैं। इनकी बिक्री से प्राप्त रुपये से हम अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आज भी हम ट्रांसफार्मर के उपकरण व ऑयल चोरी करने की योजना बना रहे थे कि पुलिस द्वारा हम लोगों को पकड लिया गया। हमारे दोनों साथी मौका पाकर भाग गये हैं। अभियुक्तगण द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलकर जगह जगह ट्रांसफार्मर उपकरण चोरी की घटनाएं की गयी हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.रिहान उर्फ मच्छी पुत्र अफसर निवासी ग्राम भैंसाली इस्लामपुर जनपद शामली।
- 2.दानिश पुत्र बाबू निवासी ग्राम भैंसाली इस्लामपुर जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिहान उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 18/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 2.मु0अ0स0 21/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 3.मु0अ0स0 22/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 4.मु0अ0स0 23/2025 धारा धारा 109(1)/312/313 बीएनएस व 3/4/25/27 आर्मस एक्ट थाना बाबरी, शामली।
- 5.मु0अ0स0 115/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कोतवाली शामली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 429/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली
- 2.मु0अ0स0 431/2023 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट एवं 414/307 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली
- 3.मु0अ0स0 542/2020 धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मु0नगर
- 4.मु0अ0स0 607/2020 धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मु0नगर
- 5.मु0अ0स0 364/2020 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना चरथावल जनपद मु0नगर
- 6.मु0अ0स0 231/2020 धारा 379/411 भादवि थाना छपार नगर जनपद मु0नगर
- 7.मु0अ0स0 248/2020 धारा 379/411 भादवि थाना छपार नगर जनपद मु0नगर
- 8.मु0अ0स0 18/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 9.मु0अ0स0 21/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 10.मु0अ0स0 22/25 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली
- 11.मु0अ0स0 23/2025 धारा धारा 109(1)/312/313 बीएनएस व 3/4/25/27 आर्मस एक्ट थाना बाबरी, शामली।
- 12.मु0अ0स0 115/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कोतवाली शामली

बरामदगी का विवरण:-

- 1.ट्रांसफार्मर के उपकरण,
- 2.15 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल
- 3.अवैध 01 तमंचे मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर,
- 4.अवैध 01 चाकू ।
- 5.ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0उ0नि0 श्री राहुल कादयान थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 4.का0 श्री हातम सिंह थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 5.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 6.का0 भगमल सिंह थाना बाबरी जनपद शामिली ।

नोट:- पुलिस अधीक्षक शामिली द्वारा पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु 15,000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है ।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन का भंडाफोड करते हुए 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।

दिनांक 11/12.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शस्त्र की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये माजरा रिसालगढ जंगल में स्थित ट्यूवैल की कोठरी से संचालित अवैध शस्त्र फैक्टरी का खुलासा करने व 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त शराफत पुत्र रुल्हा निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अपने साथी सादीन पुत्र सफी निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली के साथ मिलकर उक्त फैक्टरी का संचालन किया जा रहा था। सादीन उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्त शराफत थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा पर पंजीकृत जानलेवा हमले के मामले में भी वांछित है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शराफत पुत्र रुल्हा निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली (एचएस)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 87/2025 धारा 4/5/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 0258/2020 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 0298/2018 धारा 51, 9 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 0299/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 0019/2011 धारा 147,148,149,153A,307,336,504,506 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 81/1992 धारा 302/307 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 56/1998 धारा 302 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 8.मु0अ0सं0 63/1998 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 9.मु0अ0सं0 32/1998 धारा 380 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 10.मु0अ0सं0 7/1995 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 11.मु0अ0सं0 10/1999 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थानाभवन जनपद शामली।
- 12.मु0अ0सं0 428/2002 धारा 147/148/149/353/504/506 भादवि थानाभवन जनपद शामली।
- 13.मु0अ0सं0 68/2021 धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कण्डाघाट जनपद सोलना हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 02 अदद देशी बन्दूक एक नाली 12 बोर।
- 2.अवैध 02 अदद तमन्चा 315 बोर।
- 3.अवैध 52 अदद कारतूस 12 बोर रंग काला, 06 अदद कारतूस 12 बोर रंग लाल, 20 अदद कारतूस 315 बोर, 01 अदद कारतूस 303 बोर 10 अदद खोखा कारतूस विभिन्न रंग के।
- 4.अवैध शस्त्रों की बिक्री से प्राप्त नगद 5000 रुपये
- 5.**अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण** (18 डिब्बी पटाखा टिकरी, एक डिब्बे में रांग आधा डिब्बा, दो अदद कैची छोटी बडी, दो अदद पिलास छोटे बडे, 03 अदद पेचकस छोटे बडे, एक अदद रेत्ती, दो अदद आरी ब्लेड, तीन अदद चाकू, दो अदद सूम्मे, एक अदद कुल्हाडी, एक अदद दरात, एक अदद राड लोहा, तीन अदद टेप, दो अदद हथौडी, एक अदद फरमा, एक अदद खुखरी

मय कवर, एक अदद छेनी, एक अदद लोहा पैड,लोहे की ट्रैगर पिन एव स्पिंग, एक अदद तेल सीसी व एक अदद मार्कर रंग काला)
।

6.दो अदद मोबाईल KECHDDA व वीवो कम्पनी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.निरी० श्री वीरेन्द्र कसाना प्रभारी थाना थानाभवन जनपद शामिल ।
- 2.व०उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामिल ।
- 3.उ०नि० श्री सोमपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामिल ।
- 4.है०का० भगत सिंह थाना थानाभवन जनपद शामिल ।
- 5.का० अमित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामिल ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अतुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पठानपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 सनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 दीपक यादव चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त इस्तकार पुत्र अब्बास निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली को सत्यापन की कार्यवाही में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी शामली के आदेश दिनांक 24.12.2024 से 04 माह के लिये जिलाबदर घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इस्तकार पुत्र अब्बास निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 247/24 धारा धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली
2. मु0अ0सं0 260/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली
3. मु0अ0सं0 98/25 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी चौसाना थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।
2. है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।
3. का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।



थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01

अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.03.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व मारपीट करने के सम्बन्ध में पीड़िता के द्वारा तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर महिला थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 12.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.रोहित पुत्र रमेश निवासी मौहल्ला बरखण्डी शामली थाना कोतवाली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 युनुस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.है0का0 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.का0 रजत यादव थाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 24 पच्चे देशी शराब बरामद:-

आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 24 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.हसरत पुत्र करीम निवासी भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 24 पच्चे देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ०नि० श्री दीपचंद थाना थानाभवन जनपद शामली।

2-है०का० यशपाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

3-का० अश्वनी कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 ली0 कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 12.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शेरु पुत्र जुहारी नि0 ग्राम खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जिला शामली

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली

2.है0का0 विपिन पाठक थाना झिंझाना जनपद शामली

3.है0का0 जितेन्द्र कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 8500 /- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त कुरडीराम पुत्र रघुवीर निवासी खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2010 में अभियुक्त शेरशिह पुत्र कालू बावरिया निवासी बिरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 736/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2003 में अभियुक्त सोमवीर पुत्र सुरजा निवासी गढी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 320/2003 धारा 379/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2006 में अभियुक्त कल्लू पुत्र रामकिशन निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 717/2006 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI